झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	राज्य के प्रस्वीकृत (वित्त सहित) मदरसों एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को 18 महीनों से वेतन नही मिला है। साथ ही सरकार ने संकल्प सं0-1674, दिनांक- 11.06.2018 द्वारा इन शिक्षकों के पेंशन आदि सुविधाओं पर रोक लगा दी है। सरकार का निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों में भेदभाव को प्रदर्शित करता है और इस निर्णय से मदरसो एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में काफी रोष है। साथ ही कार्यरत कर्मियों को आर्थिक संकट से भी जुझना पड़ रहा है। अतः सरकार इस पर पुनर्विचार करे इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।	योजना सह-वित्त
02-	श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के निर्माण के बाद राज्य की राजधानी राँची की 18 वर्षो में तीव्रता के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। राँची शहर की नगरीय सुविधा व व्यवस्था आज भी वही है, जो 18 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में थी। राँची शहर का मेन रोड, बरियातु, हरमु, काँके, कचहरी, लालपुर, कोकर इत्यादि मुख्य	नगर विकास एवं आवास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		सड़कों पर वाहनों के परिचालन का भार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। राँची शहर में पार्किंग, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, ग्रीन एरिया एवं चौड़ी सड़को का आभाव है। वर्त्तमान राज्य सरकार, राँची शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। आने वाले वर्षो में राँची शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और अधिक बढ़ेगा। अतः आगामी 10 वर्षो को ध्यान में रखते हुए राँची शहर तथा आस-पास के क्षेत्रों में सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग ग्रीन एरिया, स्कूल, कॉलेज, यातायात सुविधा के लिए मोनो रेल तथा अन्य नगरीय सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मण्डल स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत राजमहल कोयला खनन परियोजना द्वारा CBA Act के तहत् अर्जित की गई भूमि पर परियोजना प्रभावित रैयतों का पुनर्वास व विस्थापन के कारण वैसे विस्थापित परिवारों को दिये गए भूखंड का आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है। परियोजना द्वारा वर्ष- 1981 में कोयला उत्खनन कार्य हेतु CBA Act के तहत् भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसके लिये रैयतों को 15 वर्ष की अवधि का छति-पूर्ति फसल मुआवजा दिया गया था एवं वैसे भूमि पर काफी वर्षो पूर्व उत्खनन का कार्य भी समाप्त हो चुका है एवं लीज की अवधि वर्ष 2003 में ही समाप्त हो चुकी है। CBA एक्ट के तहत् अर्जित भूमि पर विस्थापन नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोयला खनन के पश्चात् जमीन का समतलीकरण कर भूमि को पूर्व की स्थिति में लाकर राज्य सरकार को वापस किया जाना है। खनन क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास हेतु LA Act के तहत् परियोजना को भूमि का अधिग्रहण कर विस्थापित परिवारों को नियमानुसार भूमि आवंटित कर बसाने की प्रक्रिया किया जाना चाहिये। परन्तु राजमहल कोयला-	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		खनन परियोजना द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। अस्तु राज्य सरकार भू विस्थापितों व भू-दाताओं को संरक्षण देते हुए CBA Act के तहत् वर्ष- 1981 या उसके बाद अधिग्रहण की गई भूमि का पुनः मुल्यांकन करते हुए लीज की अवधि बढ़ाकर रैयतों को मुआवजा दिलाने अथवा लीज समाप्ति के पश्चात नियमानुसार उनकी भूमि वापस कराने हेतु की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	
04-	श्रीमती सीमा देवी स0वि0स0,	पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए NGT के आदेश के तहत् नदियों से बालू खनन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक रोक है। इस रोक के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में माफिया एवं पदाधिकारियों/पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन होता है। अतः अवैध खनन् से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने एवं इसपर निगरानी हेतु विभाग के चेकनाका में CCTV कैमरा लगाने तथा बालू उठाव में प्रयोग आनेवाले वाहनों का खनन विभाग द्वारा विशेष परिमिट जारी करते हुए परमिटधारी वाहनों पर GPS सिस्टम अनिवार्य करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	उद्योग, खान एवं भूतत्व
05-	श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0	सिमडेगा जिला के सिमडेगा प्रखण्ड में कुल्लुकेरा पंचायत है, जिसमें 9 राजस्व ग्राम है। परन्तु पंचायत मुख्यालय कुल्लुकेरा में ही जन वितरण प्रणाली की राशन दुकाने हैं जबकि राजस्व ग्राम हाथाभाड़ी की दूरी 10 कि0मी0 रावन खोल 8 कि0मी0 चडरी टोली 10.05 कि0मी0, बड़काडांड-8 कि0मी0,पटिया पाती-5 कि0मी0 पाकेर कच्छार 5 कि0मी0झुण्डुपानी 9 कि0मी0, वनमारा 9 कि0मी0 एवं चिरोबेड़ा 3 कि0मी0 की दूरी पर है।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

01.	02.	03.	04.
		सिमडेगा जिला के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की समस्याऐं है। अतः सरकार की राशन वितरण योजना का लाभ कार्डधारियों को नहीं मिल पाता है, आने-जाने की कठिनाई के कारण निर्धारित तिथि को लोग नहीं आ पाते है। अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि जिला के जंगली क्षेत्रों में जन सुविधा को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाय जिससे कल्याणकारी योजना का लाभ आम लोगों को मिल सके।	

राँची,
दिनांक- 17 जुलाई, 2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-...3266.../वि0 स0, राँची, दिनांक-16/07/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/योजना सह- वित्त विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-...3266.../वि0 स0, राँची, दिनांक-16/07/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

16.07.18